भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1223
30th जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

आंध्र प्रदेश में पीएमएमएसवाई

1223. श्री जी.एम. हरीश बालयोगी:
श्री पुट्टा महेश कुमार:
श्री प्रद्युत बोरदोलोई :

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत शुरू की गई और पूरी की गई परियोजनाओं आंध्र प्रदेश की विशेषकर डॉ. बी. आर. अम्बेडकर कोनासीमा और एलुरू जिलों में कुल संख्या कितनी है और, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है और चल रही परियोजनाओं को राज्य-वार पूरा करने की प्रस्तावित समय-सीमा कितनी है;

(ख) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों (पुरुष, महिला और अन्य) की कुल संख्या का विशेषकर आंध्र प्रदेश के डॉ. बी. आर. अम्बेडकर कोनासीमा और एलुरू जिलों के ब्यौरा सहित जिला-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस योजना के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश सहित राज्य-वार, जिला-वार विशेषकर डॉ. बी. आर. अम्बेडकर कोनासीमा और एलुरू जिलों के लिए आबंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) आन्ध्र प्रदेश में मत्स्य बंदरगाहों, मछली उतराई केन्द्रों और एकीकृत जल पार्कों के विकास के संबंध में इस योजना के अंतर्गत उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में उक्त योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई परियोजना/संवर्धनात्मक कार्यकलाप /अभियान शुरू किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए युवा मछुआरों और महिलाओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए कोई प्रोत्साहन शुरू करने पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) :विगत चार वर्षों (2020-24) के दौरान प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार ने 658.74 करोड़ के केंद्रीय अंश के साथ 2337.18 करोड़ रु/- की कुल लागत पर मात्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्र में 38 (32 लाभार्थी उन्मुख और 6 गैर-लाभार्थी उन्मुख) गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है और इसमें मछुआरों का कल्याण और फिशिगं हार्बर और फिश लेंडिंग सेन्टर, एक्वा पार्क, ब्रूड बैंक आदि जैसी इन्फ्रस्ट्रक्चर परियोजनाएं शामिल है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पीएमएमएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत और पूर्ण की गई गतिविधियों का विवरण

अनुबंध-I में दिया गया है। डॉ. बीआर अंबेडकर कोनासीमा और एलुरु जिलों में पीएमएमएसवाई के अंतर्गत क्रियान्वित गतिविधियों की स्थिति अनुबंध -II में दी गई है ।

(ख) : पीएमएमएसवाई को आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है। विगत चार वर्षों के दौरान पीएमएमएसवाई के तहत कवर किए गए लाभार्थियों की राज्यवार संख्या **अनुबंध** -III में दी गई है । विगत चार वर्षों के दौरान डॉ. बीआर अंबेडकर कोनासीमा और एलुरु जिलों में पीएमएमएसवाई के तहत लाभार्थियों का विवरण नीचे दिया गया है:

लाभार्थी	डॉ बी आर अम्बेडकर कोनासीमा जिला	एलुरु जिला
पुरुष (संख्या)	121	134
महिला (संख्या)	80	66
कुल	201	200

(ग) : विगत चार वर्षों के दौरान पीएमएमएसवाई के तहत जारी और उपयोग की गई राज्यवार धनराशि का विवरण अनुबंध-IV में दिया गया है।_आंध्र प्रदेश के डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा और एलुरु जिलों में पीएमएमएसवाई के तहत जारी और उपयोग की गई केंद्रीय निधि का विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रुपए में)

लाभार्थी	डॉ बी आर अम्बेडकर कोनासीमा जिला	एलुरु जिला (लाख रुपए में)
आबंटित निधि	311.11	557.10
उपयोग की गई निधि	306.67	551.09
कुल	617.78	1108.19

(घ) आंध्र प्रदेश में 03 फिशिगं हार्वर, 06 फिश लेंडिंग सेन्टर्स और 01 एक्वा पार्क के विकास के लिए अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण अनुबंध-V में दिया गया है।

(ड.) : आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि विगत चार वर्षों के दौरान राज्य ने प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 68 आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए हैं । इसके अलावा, जनवरी, 2024 के दौरान मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा मछुआरों, तटीय समुदायों और हितधारकों को पीएमएमएसवाई सहित मछुआरों और मत्स्य किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), मात्स्यिकी और जल कृषि अवसंरचना विकास निधि / फिशेरीस एंड एक्वाकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड (एफआईडीएफ), आदि सहित सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक विशाल आउटरीच कार्यक्रम 'सागर परिक्रमा' आयोजित किया गया था ।

(च) : पीएमएमएसवाई के तहत, सामान्य (पुरुष) लाभार्थियों को गतिविधि की इकाई लागत का 40% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और युवा मछुआरों और महिलाओं सहित महिला लाभार्थियों को 60% सरकारी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, पीएमएमएसवाई के तहत आंध्र प्रदेश के मछुआरा गांवों में युवाओं की भागीदारी के लिए 350 बहुउद्देशीय सहायता सेवाओं- सागरमित्रों को मंजूरी दी गई है।

अनुबंध- I

आंध्र प्रदेश में पीएमएमएसवाई के संबंध में 30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1223 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण - आंध्र प्रदेश सरकार को पीएमएमएसवाई के तहत अनुमोदित गतिविधियों की वर्तमान स्थिति ।

क्रम सं	गतिविधियों के नाम	स्वीकृत इकाई	पूर्ण इकाई
(I)	(ii)	(iii)	(iv)
1	मीठे पानी की फिन फिश हैचरी	5	1
2	खारे पानी फिश हैचरी	10	3
3	खारे पानी के बायोफ्लोक तालाब	50	10
4	मीठे पानी के बायोफ्लोक तालाब	47	9
5	जलाशयों में फिंगरलिंग्स का भंडारण	191400 हेक्टेयर	76810 हेक्टेयर
6	री सर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम	64	8
7	आइस प्लांट	16	3
8	विशाल फ़ीड मिल	4	2
9	ऑपेन सी केज कल्चर	60	11
10	जलाशय में केज	100	0
11	आइस बॉक्स वाली मोटर साइकिलें	800	734
12	इंसुलेटेड वाहन	200	90
13	डीप सी फिशिंग वेस्स्ल्स	50	3
14	जैव शौचालयों	10	5
15	रोग निदान और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला	2	1
16	मोबाइल प्रयोगशाला	8	2
17	नावों और जालों की रीपलेसमेंट	2191	108
18	मत्स्य खुदरा बाजार	100	10
19	मत्स्य मूल्य वर्धित उद्यम इकाइयाँ	75	19
20	जीवित मत्स्य विक्रय केंद्र	245	147
21	फिश कियोस्क का निर्माण	750	86
22	फिस कियोस्क का निर्माण	3865	1914
23	आइस बॉक्स के साथ तिपहिया वाहन	400	64
24	ई-प्लेटफार्म	1	1
25	ब्रूड बैंक	1	1
26	सागर मित्र	350	318
27	आजीविका एवं पोषण सहायता	319720	319720
28	फिशिगं हार्बर	3	0
29	फिश लेंडिंग सेन्टेर्स	6	0
30	एकीकृत एक्वा पार्क	1	0
31	पर्ल संवर्धन इकाइयाँ	50	0
32	आर्टिफ़िशियल रीफ़्स	22	0
33	संचार और ट्रैकिंग उपकरण	4484	0

अनुबंध- II

आंध्र प्रदेश में पीएमएमएसवाई के संबंध में 30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1223 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण - आंध्र प्रदेश के डॉ. बी आर अंबेडकर कोनासीमा और एलुरु जिलों में पीएमएमएसवाई के तहत कार्यान्वित गतिविधियों की वर्तमान स्थिति।

क्रम सं.	पीएमएमएसवाई घटक	डॉ बी आर अम्बेडकर कोनासीमा जिला		एलुरु जिला	
		स्वीकृत इकाइयाँ	पूर्ण इकाइयाँ	स्वीकृत इकाइयाँ	पूर्ण इकाइयाँ
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
1	मत्स्य खुदरा बाजार (हब)	4	2	4	1
2	मत्स्य मूल्य वर्धित उद्यम इकाइयाँ	3	0	4	2
3	जीवित मत्स्य विक्रय केंद्र	11	8	16	१३
4	फिश कियोस्क का निर्माण	३१	0	३१	12
5	फिश कियोस्क का निर्माण	191	154	261	141
6	आइस बॉक्स के साथ तिपहिया वाहन	16	2	३१	6
7	खारे पानी के बायोफ्लोक तालाब	4	0	3	0
8	मीठे पानी के बायोफ्लोक तालाब	1	0	0	0
9	फिंगरलिंग्स का स्टॉकिंग	3550 हेक्टेयर	0	5467	4467
10	बड़े आरएएस सिस्टम	1	0	0	0
11	आइस प्लांट- 10T	1	1	0	0
12	आइस प्लांट - 50T	1	1	1	0
13	ऑपेन सी केज कल्चर	5	0		
14	विशाल फ़ीड मिल	0	0	2	2
15	रोग निदान और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला और मोबाइल प्रयोगशाला	0	0	2	0
16	जलाशय में केजों की स्थापना	4	0	6	0
17	आइस बॉक्स वाली मोटर साइकिलें	25	20	27	16
18	इंसुलेटेड वाहन	8	5	8	2
19	डीप सी फिशिंग वेस्सेल्स	6	0		
20	मशीनीकृत मत्सयन जहाजों में जैव-शौचालय	10	5	0	0
21	नावें (रीपलेसमेंट) और जाल	136	0	0	0
22	सागर मित्रा	18	18	0	0
15	आजीविका और पोषण सहायता	17096	17096	0	0
16	आर्टिफिशियल रीफ़्स	1	0	0	0

अनुबंध-III

आंध्र प्रदेश में पीएमएमएसवाई के संबंध में 30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1223 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण - विगत चार वर्षों के दौरान पीएमएमएसवाई के तहत लाभार्थियों की राज्यवार संख्या ।

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	महिला लाभार्थी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजातियाँ	सामान्य लाभार्थी	कुल
1	आंध्र प्रदेश	510	2023	292	118559.00	121384.00
2	अंडमान और निकोबार	396	0	239	780.00	1415.00
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	803	611.00	1414.00
4	असम	7592	7493	7021	29336.00	51442.00
5	बिहार	3884	2141	316	59731.00	66072.00
6	छत्तीसगढ	1962	570	1510	55193.00	59235.00
7	दमन एवं दीव तथा दमन एवं दीव	2	0	23	5.00	30.00
8	दिल्ली	8	2	0	25.00	35.00
9	गोवा	222	41	55	308.00	626.00
10	गुजरात	4129	2603	6916	7081.00	20729.00
11	हरयाणा	1719	909	0	1999.00	4627.00
12	हिमाचल प्रदेश	570	788	99	4737.00	6194.00
१3	जम्मू और कश्मीर	26	2078	341	48535.00	50980.00
14	झारखंड	1805	543	1249	1824.00	5421.00
15	कर्नाटक	9534	1955	994	40435.00	52918.00
16	केरल	636	315	108	182293.00	183352.00
17	लद्दाख	0	0	175	85.00	260.00
18	लक्षद्वीप	182	34	533	2466.00	3215.00
19	मध्य प्रदेश	3089	2085	8972	29773.00	43919.00
20	महाराष्ट्र	2320	1662	1154	11981.00	17117.00
21	मणिपुर	468	383	569	839.00	2259.00
22	मेघालय	297	0	1803	0.00	2100.00
23	मिजोरम	3231	100	17649	0.00	20980.00
24	नागालैंड	152	0	2823	0.00	2975.00
25	ओडिशा	1750	6915	316	29084.00	38065.00
26	पुदुचेरी	195	121	0	58951.00	59267.00
27	पंजाब	300	72	0	1110.00	1482.00
28	राजस्थान	220	३१	26	2619.00	2896.00
29	सिक्किम	10	5	2255	0.00	2270.00
30	तमिलनाडु	652	768	0	190351.00	191771.00
31	तेलंगाना	390	4227	1967	31685.00	38269.00
32	त्रिपुरा	578	3906	7087	7101.00	18672.00
33	उत्तर प्रदेश	4415	1187	0	13747.00	19349.00
34	उत्तराखंड	279	248	92	1061.00	1680.00
35	पश्चिम बंगाल	470	1201	127	3227.00	5025.00
	कुल (क)	**51523.00**	**44406.00**	**65387.00**	**935532.00**	**1097445.00**

अनुबंध-IV

आंध्र प्रदेश में पीएमएमएसवाई के संबंध में 30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1223 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण - विगत चार वर्षों के दौरान पीएमएमएसवाई के तहत जारी और उपयोग की गई राज्यवार निधि।

(लाख रुपए में)

क्रम सं	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**कुल जारी निधि**	**प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	696.70	475.70
2	आंध्र प्रदेश	48297.94	23220.15
3	अरुणाचल प्रदेश	8029.40	5681.80
4	असम	17731.89	13379.66
5	बिहार	7928.31	3139.61
6	छत्तीसगढ़	15569.40	11249.19
7	दमन एवं द्वीप	178.90	6.61
8	दिल्ली	163.30	124.72
9	गोवा	4405.68	2346.13
10	गुजरात	6516.70	3554.33
11	हरियाणा	10151.73	6960.68
12	हिमाचल प्रदेश	3813.69	2631.95
13	जम्मू और कश्मीर	7961.80	6718.78
14	झारखंड	8570.76	4800.63
15	कर्नाटक	29958.72	20612.57
16	केरला	31842.33	21331.19
17	लद्दाख	526.55	319.76
18	लक्षद्वीप	1419.12	68.01
19	मध्य प्रदेश	16345.06	10946.90
20	महाराष्ट्र	27877.83	14332.93
21	मणिपुर	2944.63	1944.63
22	मेघालय	3596.21	2195.32
23	मिजोरम	5216.48	3966.47
24	नगालैंड	5040.72	4373.26
25	ओडिशा	20983.27	12617.72
26	पांडिचेरी	5713.91	2305.76
27	पंजाब	2476.27	1144.56
28	राजस्थान	364.12	197.82
29	सिक्किम	2300.25	1227.70
30	तमिलनाडु	13631.12	6901.68
31	तेलंगाना	5582.93	2745.34
32	त्रिपुरा	5859.84	3498.50
33	उत्तर प्रदेश	22357.30	19168.46
34	उत्तराखंड	8780.37	5102.76
35	पश्चिम बंगाल	5075.97	2417.00
	कुल	**357909.2 0**	**221708.28**

अनुबंध- V

आंध्र प्रदेश में पीएमएमएसवाई के संबंध में 30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1223 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण - आंध्र प्रदेश सरकार को पीएमएमएसवाई के तहत फिशिंग हारबर्स, फिश लेंडिंग सेन्टेर्स और इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क के विकास के लिए उठाए गए कदम ।

क्रम सं.	परियोजना का नाम और स्थान	परियोजना की लागत (रुपए करोड़ में)
(i)	(ii)	(iii)
1	अनाकापल्ली जिले में पुदीमदका फिशिंग हार्बर का विकास	387.00
2	श्रीकाकुलम जिले में बुडागाट्लापलेम फिशिंग हार्बर का विकास	386.20
3	प्रकाशम जिले में कोथापट्टनम फिशिंग हार्बर का विकास	364.00
4	विशाखापत्तनम जिले में भीमिली फिश लेंडिंग सेंटर	24.864
5	विजयनगरम जिले में चिंतापल्ली फिश लेंडिंग सेंटर	23.736
6	अनाकापल्ली जिले में राजय्यापेटा फिश लेंडिंग सेंटर	24.774
7	तिरूपति जिले में रायदारुवु फिश लेंडिंग सेंटर	23.90
8	अनाकापल्ली जिले में धोंडावका फिश लेंडिंग सेंटर	23.90
9	काकीनाडा जिले में उप्पलंका फिश लेंडिंग सेंटर	5.74
10	इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क	88.08
	कुल	**1352.194**

******